प्राचीन भारतीय इतिहास में शिल्प श्रेणी

(600–300BC)

उमेश कुमार

इतिहास प्राध्यापक

रा0व0मा0वि0 जसराणा (सोनीपत)

प्राचीन भारतीय इतिहास मे शिल्प श्रेणियों का अपना महत्वपूर्ण स्थान था । जब उद्योग और व्यापार में लगे व्यक्ति संगठित होकर अपने हितों की रक्षा करने के लिए एक संस्था बनाते हैं तो श्रेणीी या निगम की उत्पत्ति होती है [1]। इन श्रेणी या निगम के प्रमुख को जेट्ठक कहा जाता है हालांकि तत्कालीन समय में व्यापारिक और औद्योगिक श्रेणियां भी थी लेकिन इनके कार्य और व्यवहार लगभग समान ही थे जिन्हें वैदिक साहित्य में श्रेणी,नैगम, पूंग,संघ, व्रतत आदि के नाम से जाना जाता था । वस्तुतः सिन्धु सभ्यता और पूर्व वैदिक साहित्य में शिल्प उद्योगों की जानकारी तो प्राप्त होती है लेकिन उनकी श्रेणियों के संबंध में स्पष्ट प्रभाव दिखाई नहीं देता जो कि बाद के काल में दिखाई देता है । इन शिल्प श्रेणियों के समय के साथ समाज में इतना प्रभाव हो गया था कि वे राज्य के अनिवार्य अंग प्रतीत होते थे जिनका अध्ययन करना महत्वपूर्ण हो जाता है । प्रस्तुत शोघ पत्र में शिल्प श्रेणियों (600–300BC) का अध्ययन करना ही अभिप्रेत है ।

सिन्धु घाटी सभ्यता के कुम्भकार, मूर्ति निर्माण करता, रंगरेज आदि शिल्पियों की शिल्प कला का तो पता चलता है परन्तु उनकी संगठित श्रेणियों का ज्ञान नहीं होता, इसी तरह वैदिक काल में भी शिल्प का ज्ञान तो है परन्तु श्रेणियों की स्पष्ट जानकारी नहीं मिलती । छठी शताब्दी ई0 पू0 उद्योग व व्यापार का उत्थान हुआ । अच्छी व्यवस्था के लिए इस समय लोगों को एक संगठन की आवश्यकता हुई । मजूमदार के अनुसार–श्रेणी समाज या भिन्न जाति के परन्तु समान व्यापार और उद्योग अपनाने वाले लोगों का संगठन है । बौद्ध जातक कथाओं में अट्ठारह श्रेणियों का उल्लेख है [2]। इन श्रेणियों में महाजनों की श्रेणी सबसे महत्वपूर्ण थी जो सेठी कहलाते थे । ये नगरों में रहते थे । धनवान होने के साथ–साथ ये उदार भी होते थे । अनाथपिंडक जो कि महाजनों की श्रेणी से ही था जिसने महात्मा बुद्ध के सम्मान में समस्त जेतवन के उद्यान को सिक्कों से ढक दिया था । यह निश्चित रूप से कहना कठिन है कि ये अट्ठारह श्रेणियां कौन सी थी किन्तु अनेक जातकों में वर्णित श्रेणियों में हम कह सकते हैं कि इनमें राजों, लुहारों और बढइयों के अतिरिक्त सोना, चॉदी आदि धातुओं, बांस, पत्थर, चमडा,

हाथीदांत का काम करने वालों, जौहरियों, जुलाहों, कुम्भकारों, तेलियों, टोकरी बनाने वालों, रंगरेजों, चित्रकारों, धान्य के व्यापारियों, मछुओं, कसाइयों, नाइयों, मालियों, मल्लाहों, व्यापारियों के माार्गदर्शकों 'सार्थवाहकों' डाकुओं, लुटेरों और महाजनों की श्रेणियॉ सम्मलित थी [3]।

संभवतः श्रेणियों के भांडागारिक बनाते समय वस्तुओं का निरीक्षण करते थे और उन्हें बिकने से पूर्व अपने पास सम्भालकर रखते थे [4]।

जातकों के अध्ययन से पता चलता है कि व्यापारी परम्परागत परिवार को जेट्ठक के नेतृत्व में निगम का संगठन करते थे किन्तु संभवतः उनका संगठन इस काल में बहुत विकसित नहीं था, शिल्पियों मे पैतृक व्यवसायों की परम्परा के कारण उनका संघटन अधिक विकसित था [5]। शिल्पियों में अधिकतर व्यक्ति अपना पैतृक व्यवसाय की करते थे । उनके नाम पर अलग–अलग सडकें, वीथिया और पूरे गांव विद्यमान थे जैसे –हाथी दांत का काम करने वाले लोग हाथी दांत बाजार में, धोबी और रंगसाज धोबी गली में, कपडा बुनने वाले जुलाहा गली में, फूलों का व्यापार करने वाले फूल गली में रहते थे [6] ।

सुचिजातक का ग्राम लुहारों का था जिसमें एक हजार लुहार परिवार एक प्रधान लुहार के अधीन कार्य करते थे । इसी तरह समृद्ध वाणि जातक से पता चलता है कि बनारस के समीप एक हजार परिवारों वाले बढइयों का ग्राम था । इस परिवार में दो प्रधान शिल्पि थे । प्रत्येक प्रधान शिल्पी, पॉच सौ परिवारों का नेतृत्व करता था [7]। इससे ये पता चलता है कि उस समय शिल्पियों के अलग–अलग गांवों भी होते थे जो अपने–अपने शिल्प संबंधी कार्य करते थे । एक जातक से पता चलता है कि एक गांव के 1000 बढइयों के परिवार एक साथ उस गांव को छोडकर एक द्वीप पर चले गए और वहॉ जाकर बस गए । इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि उनके एक जगह से दूसरी जगह जाने पर कोई प्रतिबंध न था [8]। संभवतः जेट्ठक का पद परम्परागत होता था । जब जेट्ठकों में झगडे होते थे तो राजा विशेष नयायधीशकरण नियुक्ति करके इन झगडों को निबटाते थे । कभी–कभी श्रेणियों के जेट्ठक उच्च पदों पर भी नियुक्त किये जाते थे । इन श्रेणियों का समाज में बहुत सम्मान किया जाता था । समाज में सम्मान होने के कारण ही इन श्रेणियों को कई बार राजा के जुलूस में शामिल किया जाता था । सभवतः राजाा का भाण्डागरिक अधिकारी इन श्रेणियों के कार्य की देखभाल करता था परन्तु शासकों के निरीक्षण से श्रेणियों की पहली शक्ति में किसी प्रकार की बाधा नहीं पडती थी ।

धर्मसूत्र, चरवाहों और शिल्पियों को गौतम अपने– अपने समूहों के नियम निर्धारित करने का अधिकार देते हैं । अतः ये संगठन संविधार द्वारा राज्य के एक आवश्यक अंग मान लिये गए और उन्हें कानून बनाने का अत्यंत महत्वपूर्ण अधिकार प्रदान किया गया ।

विनय पिटक से ज्ञात होता है कि श्रेणियां अपने सदस्यों और उनकी पत्नियों के बीच कुछ परिस्थितियों में मध्यस्थता कर सकती थी [9]। इन श्रेणियों को शासकीय अधिकार प्राप्त होने के कारण ये किसी चोर स्त्री का बिना अधिकारियों की अनुमति के भिक्षुणी न बनाया जाए [10]।

कौटिल्य के अनुसार राज्य का शिल्प श्रेणियों पर कठोर प्रतिबंध होना चाहिए । इस काल में शिल्पी अपने–अपने संगठनों में संगठित थे । श्रेणियों से शुल्क एकत्रित करने के लिए उनके तीन विश्वासपात्र आयुक्त नियुक्त किये जाते थे [11]। श्रेणियों के बीच अर्थविवादों के उपस्थित होने पर उन्हें विशेष छूट दी जाती थी और इन श्रेणियों से संबंधित व्यापारियों को अतिरिक्त सुविधाएं प्रदान की जाती थी । श्रमिकों और श्रेणियों से करों के रूप में जो आय होती थी उसकी गणना राज्य की आय मे की गई है और इन निगमों के भवनों के लिए नगर योजना में सुरक्षित स्थान रखे जाते थे । आर्थिक संकट के समय राजा निगमों की संपत्ति उधार ले सकता था [12]। इस काल में श्रेणियां बैंकों का भी काम करती थी । वे अक्षयनिवि जमा करती थी और इस अक्षयनिवि का ब्याज वे जमा करने वालों की इच्छानुसार किसी पुण्य कार्य में व्यय करती थी ।

कौटिल्य ने श्रमिकों की श्रेणियों के लिए विशेष नियम बनाये हैं जैसा कि अनुबंध पूर्ण करने के लिए स्वीकृत समय के अतिरिक्त सात राजाओं की विशेष अवधि सदस्यों की कमाई सबको बराबर बांटी जाती थी । जो सदस्य काम ठीक नहीं करता था उसे श्रेणी से निकाल दिया जाता था [13]। कौटिल्य के अनुसार श्रेणियों की आपत्तियां असहय होती थी । कुछ श्रेणियां अपने योधा भी रखती थी । राजा आवश्यकता होने पर श्रेणी बल का भी उपयोग करता था । कौटिल्य ने श्रमिकों की कुछ ऐसी श्रेणियों का भी उल्लेख किया है जो व्यापार तथा युद्ध करके अपनी आजीविका प्राप्त करती थी [14]।

कौटिल्य ने यह भी लिखा है कि राजा अत्यंत आर्थिक संकट का अनुभव करे और उसे धन की आवश्यकता अनुभव हो तो वह निगमों से सोने की सिलें और सोने की मुद्राएं उधार ले सकता है । इसका ये मतलब है कि श्रेणियां राजा को भी उधार देती थी । कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में ऐसे व्यापारियों का उल्लेख किया है जो मिलकर वस्तुओं के मूल्य का उत्कर्ष और अपकर्ष कराते थे और शत प्रतिशत मनाफा कमाकर अपनी आजीविका कमाते थे [15]। इस प्रकार अपने लाभ के लिए मूल्यों को घटाने बढाने की प्रवृति आजकल के व्यापारियों में बहुधा पाई जाती है । इससे हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि 600 ई0 पूर्व से 200 ई0 पूर्व के चार वर्षों में व्यापारियों के संघटन का अत्यधिक विकास हुआ है ।

निष्कर्षः– हम कह सकते हैं कि प्राचीन काल में श्रेणियों की स्थिति अत्यंत सुदृढ, सुव्यवस्थित तथा शक्तिपूर्ण थी । श्रेणियों ने आर्थिक कार्य के साथ–साथ अनेकों सामाजिक और धार्मिक

कार्य भी किए जिसके अनेकों उदाहरण देखने को मिलते हैं । अतः यह उच्च शिल्प वर्ग था जिसका प्रभाव समाज के हर क्षेत्र मे देखने को मिलता है ।

सन्दर्भ ग्रंथ

1. ओमप्रकाश : प्राचीन भारत का आर्थिक इतिहास पृ0–184
2. जातक जिल्द –4 पृ0–411
3. नासिक अभिलेख लूडर्स 1133, 1137
4. विनयपिटक – 2,176
5. ओमप्रकाश : प्राचीन भारत का आर्थिक इतिहास पृ0–185
6. जातक प्रथम पृ0– 320,356, द्वितीय पृ0–321, तृतीय पृ0–281 चतुर्थ पृ0–181,182
7. समद्दवणिक जातक पृ0–466
8. ओमप्रकाश : प्राचीन भारत का आर्थिक इतिहास पृ0– 185
9. विनयटैकस्टस 4, 226
10. सुतविभांग उद्वत : इकोनोमिक जर्नल 1901 पृ0– 313
11. शमशास्त्री पृ0– 253
12. शमशास्त्री पृ0 – 305
13. ओमप्रकाश : प्राचीन भारत का आर्थिक इतिहास पृ0–187
14. शमशास्त्री पृ0 – 376
15. ओमप्रकाश : प्राचीन भारत का आर्थिक इतिहास पृ0 – 187